मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन–मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ 9–2 / 2014 / चार भोपाल, दिनांक 6 अगस्त, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति, सेवा त्याग एवं मृत्यु के प्रकरणो में फंड मैनेजरों के पास जमा राशि की भुगतान प्रकिया ।

–•–

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23–03–2010 द्वारा राज्य शासन के अधीन दिनांक 01–01–2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों जिनके अंशदान शासन द्वारा नियुक्त फंड मैनेजरों को स्थानान्तरित नहीं किये गये थे, के भुगतान की प्रकिया जारी की गयी है । ऐसे कर्मचारी जिनकी जमा राशि फंड मैनेजरों को अंतरित की जा चुकी है, के भुगतान की प्रकिया, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक पी.एफ.आर.डी.ए. / 2013 / 2.ए.आर.एल.–1 दिनांक 22.1.2013 (परिशिष्ट–I) के अनुक्रम में जारी मास्टर सर्कुलर (सेवानिवृत्ति, सेवा त्याग एवं मृत्यु की स्थिति में जमा राशि के भुगतान संबंधी) स0क0 2,4, एवं 6 में दिये विवरणानुसार भुगतान प्रकिया निम्नानुसार होगीः–

1.(अ) <u>सेवानिवृत्ति पर</u>– अभिदाता की कुल जमा राशि की 40 प्रतिशत राशि की एन्युटी अभिदाता को मासिक पेंशन के भुगतान के रूप में (Annuity Purchase) एवं शेष 60 प्रतिशत राशि अभिदाता को एकमुश्त भुगतान की जाएगी । इस प्रकार के भुगतान हेतु अभिदाता द्वारा फार्म क्रमांक 101–GS (परिशिष्ट –II) संबंधित डी.डी.ओ. को प्रस्तुत किया जाकर, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित कर वांछित प्रपत्रों के साथ कोषालय अधिकारी को भेजा जायेगा। कोषालय अधिकारी उक्त फार्म एन.एस.डी.एल. को भेजेंगे, एन.एस.डी.एल. द्वारा पी0एफ0आर0डी0ए0 (पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण) से स्वीकृति पश्चात् उक्त भुगतान संबंधित के खाते में आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किया जायेगा ।